न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 41 / 2025 — जीसीएमएस मु.न. 2025 / 99

अनवान

1. किशनलाल पुत्र हरदाराम।
2. वगताराम पुत्र हरदाराम
3. भगवानाराम पुत्र हरदाराम जातियान पुरोहित, निवासीगण मौखुपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर।

वादीगण.......

1. आसूराम पुत्र जावताराम।
2. कालूराम पुत्र रणछोडाराम।
3. खुशालाराम पुत्र भाणाराम।
4. गोमती पत्नि दानाराम ।
5. दिनेशकुमार पुत्र जांवताराम।
6. प्रविण कुमार उर्फ पूनमाराम पुत्र देवाराम।
7. पोपटलाल पुत्र दानाराम ।
8. मूंगीदेवी पत्नि जांवताराम।
9. राजू पुत्र दानाराम ।
10. शान्तिदेवी पत्नि रणछोडोराम ।
11. हितेशकुमार पुत्र जांवताराम ।
12. सीता राजपुरोहित पत्नि भरतकुमार।
13. रिषभकुमार पुत्र भरतकुमार ।
14. सिद्धार्थकुमार पुत्र भरतकुमार।
15. दिनेशकुमार पुत्र वरधाराम।
16. गीतादेवी पत्नि दिनेशकुमार जातियान ब्राह्मण (राजपुरोहित), निवासीगण सांचोर, जिला जालोर।
17. पुरूषोतम कुमार पुत्र केवलाराम।
18. मनोज राजपुरोहित पुत्र प्रविणकुमार जातियान ब्राह्मण निवासीगण पालड़ी सोलंकियान, तहसील सांचौर जिला जालोर।
19. शाखा प्रबन्धक HDFC बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर (राज.)।
20. शाखा प्रबन्धक ICICI बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर (राज.)।
21. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर (राज.)।

प्रतिवादीगण.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

तारीख रजुः— 03.06.2025

उपस्थिति :—

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी, श्री शंकर चौधरी।
2. प्रतिवादीगण 1 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोतम दवे ,श्री प्रवीण दवे, रेणुका दवे।
3. प्रतिवादी संख्या 18 से 21 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23.09.2025

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 53,88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य रहे हैं। मौजा मौखुपुरा स्थित कुल 20.0461 हैक्टेयर भूमि (खसरा संख्या 2170, 4076/2188, 2160/3168, 2162/3167, 2167/3166, 2168, 2169, 2171, 2172, 2174/3165, 2186, 2187, 2183, 2175/3163, 2179/3164, 2181, 2210/3162, 3551/2174, 2066, 2174, 3982/2067, 3984/2071, 3986/2072, 2173, 2182 आदि) वादीगण–प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। करीब 35 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा कर लिया गया तथा अलग–अलग हिस्सों में कब्जा–कास्त भी कर दिया गया। किंतु राजस्व रेकर्ड में कुछ खसरों (2172, 2174, 2183, 2186, 2210/3162) के रकबे भौतिक स्थिति के विपरीत दर्ज हैं। वादीगण के बंट में रखे गये खेत खसरा नम्बर 2160/3168 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2162/3167 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2167/3166 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2168 रकबा 2. 57 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल खसरे 4 कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर भूमि सर्वसहमति से वादीगण के बंट में रखी गयी है। प्रतिवादीगण 1 ता 11 कमशः आसूराम पुत्र जावताराम, कालूराम पुत्र रणछोडाराम, खुशालाराम पुत्र भाणाराम, गोमती पत्नि दानाराम, दिनेशकुमार पुत्र जावताराम, प्रविण कुमार उर्फ पूनमाराम पुत्र देवाराम, पोपटलाल पुत्र दानांराम, मूंगीदेवी पत्नि जांवताराम, राजू पुत्र दानाराम, शान्तिदेवी पत्नि रणछोडाराम, हितेशकुमार पुत्र जांवताराम के बंट में मौजा मौखुपुरा के खसरा नम्बर 2066 रकबा 0.38 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3982/2067 रकबा 0.7653 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3984/2071 रकबा 0.5988 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3986/2072 रकबा 3.3310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2170 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4076/2188 रकबा 1.3010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2169 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2171 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2172 रकबा 1.16 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.36 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6361 हैक्टेयर भूमि सर्वसहमति से प्रतिवादीगण 1 ता 11 के बंट में रखी गई है। प्रतिवादीगण संख्या 12, 13, 14, कमशः सीता राजपुरोहित पत्नि भरतकुमार, रिषभकुमार पुत्र भरतकुमार, सिद्धार्थकुमार पुत्र भरतकुमार के बंट में मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा नम्बर 2174/3165 रकबा 0. 11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2173 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2175/3163 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2179/3164 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2210/3162 रकबा 0.55 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 0.35 हैक्टेयर है), खसरा नम्बर 3551/2174 रकबा 0.81 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2174 रकबा 1.77 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.50 हैक्टेयर है), इस प्रकार कुल रकबा 3.27 हैक्टेयर भूमि सर्वसहमति से प्रतिवादीगण 12, 13, 14 के बंट में रखी गई है। प्रतिवादीगण संख्या 15, 16 कमशः दिनेशकुमार पुत्र वरधाराम, गीतादेवी पत्नि दिनेशकुमार के बंट में मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा नम्बर 2183 रकबा 0.97 हैक्टेयर मौके पर स्थित रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2186 रकबा 0.52 हैक्टेयर मौके पर स्थित रकबा 0.62 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर भूमि सर्वसहमति से प्रतिवादीगण 15 ता 16 के बंट में रखी गई है। प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 कमशः पुरुषोतमकुमार पुरोहित पुत्र केवलाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मनोज राजपुरोहित पुत्र प्रविणकुमार के बंट में मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा नम्बर 2181 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2182 रकबा 1.04 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि सर्वसहमति से प्रतिवादीगण 17 ता 18 के बंट में रखी गई है। वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से लगभग 35 वर्ष पूर्व बंटवारा किया जा चुका है। चूंकि प्रत्येक खसरा पूर्ण रूप से किसी एक ही खातेदार को आवंटित किया गया है, अतः किसी खसरे का टुकड़ा या आंशिक विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण न तो अलग–अलग हिस्सों के लिए रंग भरे गए है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर बंटवारे एवं कब्जा–काश्त पर सहमत हैं। अतः उक्त बंटवारे के अनुसार राजस्व अभिलेखों में रकबा दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वादग्रस्त आराजी जिसका का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व मौके की भौतिक कब्जे अनुसार रकबे में भिन्नता होने से रकबा दुरूस्ति किये जाने का आदेश प्रदान करावें। साथ ही वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा वादपत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णितानुसार बंटवाड़ा करीब 35 वर्ष पुर्व कर दिया हुआ होने से खातेदारी हको की उद्घोषणा व बंटवाडे की डिक्री वाद के अवतरण संख्या 3 में वर्णितानुरार जारी की जावें।

2. वाद पत्र दिनांक 03.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए बावजूद प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 18 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोतम दवे, श्री प्रवीण दवे, रेणुका दवे उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 19 से 21 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की ओर जरिये अधिवक्ता ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि माफिक इस्तदुआ वादीगण डिक्री जारी की जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

4. उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र के अवतरण संख्या 1 में वर्णित अराजी का मौके पर स्थिति रकबे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति व रजामंदी से करीब 35 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा कर मौके पर अलग–अलग माठें कायम कर दी थी जो अवतरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार आपस में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बंटवारा कर दिया गया है। अतः खातेदारी हको की उद्घोषणा व बंटवारे की डिक्री वाद के अवतरण संख्या 3 में वर्णित अराजी अनुसार की जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 18 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वादपत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार बंटवाड़ा चाहा गया है। 35 वर्ष पूर्व हुये बंटवाड़े अनुसार वादीगण वाद डिक्री किया जाता है तो हक प्रतिवादीगण में कोई एतराज नही है।

6. हमने पत्रावली एवं उस मौजूद दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र के अवतरण संख्या 1 व 2 में वर्णित अ[illegible] 21[illegible] हैक्टेयर की बजाय 1.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2174 का रकबा 1.77 हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर, खसरा 2183 का रकबा 0.77 हैक्टेयर की बजाय 1.14 हैक्टेयर, [illegible] 0.55 हैक्टेयर की बजाय 0.35 हैक्टेयर दर्ज किये जाने हेतु [illegible] है। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 18 ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर इकबालीया जवाब [illegible] कर वादीगण के वाद का किसी भी प्रकार का खण्डन नहीं किया है तथा वादीगण के वादपत्र के अवतरण संख्या 2 अनुसार रेकर्ड दुरस्ती तथा वादपत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णित आराजी अनुसार बंटवाड़ा किये जाने पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 संयुक्त खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

द्वारा किसी भी प्रकार का खण्डन नहीं करने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वादीगण के वाद पत्र अवतरण संख्या 2 में वर्णित आराजी का रेकर्ड दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होने से रेकर्ड दुरस्त कर वादीगण के वाद पत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा संख्या 2160/3168 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/3167 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2167/3166 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2168 रकबा 2.57 हैक्टेयर **कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर भूमि वादीगण के बंट में** तथा खसरा संख्या 2066 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3982/2067 रकबा 0.7653, खसरा संख्या 3984/2071 रकबा 0.5988 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3986/2072 रकबा 3.3310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2170 रकबा 1.0 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4076/2188 रकबा 1.3010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2169 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2171 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा 2172 रकबा 1.16 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.36 हैक्टेयर) खसरा संख्या 2187 रकबा 0.70 हैक्टेयर, **कुल रकबा 10.6361 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के बंट में** तथा खेत खसरा संख्या 2174/3165 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2173 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2175/3163 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2179/3164 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2210/3162 रकबा 0.55 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 0.35 हैक्टेयर) खसरा संख्या 3551/2174 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2174 रकबा 1.77 हैक्टयेर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.50 हैक्टेयर) **कुल रकबा 3.27 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 के बंट मे** खसरा संख्या 2183 रकबा 0.97 हैक्टेयर मौके पर स्थिति रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2186 रकबा 0.52 हैक्टेयर मौके पर स्थिति रकबा 0.62 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के बंट में** तथा खसरा संख्या 2181 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2182 रकबा 1.04 हैक्टेयर **जुमले रकबा 1.33 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 17 से 18 के बंट में** रखी जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की आराजी अलग–अलग खातों में ट्रैस नक्शा में की जावें। उपरोक्त खसरान संख्या में जिन पक्षकारान के बैंक में रहन लिया है उसका रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर की जाकर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

1. किशनलाल पुत्र हरदाराम।
2. वगताराम पुत्र हरदाराम
3. भगवानाराम पुत्र हरदाराम जातियान पुरोहित, निवासीगण मौखुपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर।

वादीगण.......

1. आसूराम पुत्र जावताराम।
2. कालूराम पुत्र रणछोडाराम।
3. खुशालाराम पुत्र भाणाराम।
4. गोमती पत्नि दानाराम ।
5. दिनेशकुमार पुत्र जांवताराम।
6. प्रविण कुमार उर्फ गूनमाराम पुत्र देवाराम।
7. पोपटलाल पुत्र दानाराम ।
8. मूंगीदेवी पत्नि जांवताराम।
9. राजू पुत्र दानाराम ।
10. शान्तिदेवी पत्नि रणछोडोराम ।
11. हितेशकुमार पुत्र जांवताराम ।
12. सीता राजपुरोहित पत्नि भरतकुमार।
13. रिषभकुमार पुत्र भरतकुमार ।
14. सिद्धार्थकुमार पुत्र भरतकुमार।
15. दिनेशकुमार पुत्र वरधाराम।
16. गीतादेवी पत्नि दिनेशकुमार जातियान ब्राह्मण (राजपुरोहित), निवासीगण सांचोर, जिला जालोर।
17. पुरूषोतम कुमार पुत्र केवलाराम।
18. मनोज राजपुरोहित पुत्र प्रविणकुमार जातियान ब्राह्मण निवासीगण पालड़ी सोलंकियान, तहसील सांचौर जिला जालोर।
19. शाखा प्रबन्धक HDFC बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर (राज.)।
20. शाखा प्रबन्धक ICICI बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर (राज.)।
21. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत **धारा 53, 88, 91, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।**

राजस्व वाद संख्या 41/2025

सहायक कलेक्टर सांचौर

अनवान किशनलाल बनाम आसूराम
मुकदमा नम्बर 41/2025
निर्णय तारीख:– 23.09.2025

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी, श्री शंकर चौधरी उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 से 18 श्री पुरुषोतम दवे ,श्री प्रवीण दवे, रेणुका दवे उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 18 से 21 एकपक्षीय मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा संख्या 2160/3168 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2162/3167 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2167/3166 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2168 रकबा 2.57 हैक्टेयर **कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर भूमि वादीगण के बंट में** तथा खसरा संख्या 2066 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3982/2067 रकबा 0.7653, खसरा संख्या 3984/2071 रकबा 0.5988 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3986/2072 रकबा 3.3310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2170 रकबा 1.0 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4076/2188 रकबा 1.3010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2169 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2171 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा 2172 रकबा 1.16 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.36 हैक्टेयर) खसरा संख्या 2187 रकबा 0.70 हैक्टेयर, **कुल रकबा 10.6361 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के बंट में** तथा खेत खसरा संख्या 2174/3165 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2173 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2175/3163 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2179/3164 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2210/3162 रकबा 0.55 हैक्टेयर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 0.35 हैक्टेयर) खसरा संख्या 3551/2174 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2174 रकबा 1.77 हैक्टयेर (मौके की भौतिक स्थिति अनुसार रकबा 1.50 हैक्टेयर) **कुल रकबा 3.27 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 के बंट में** खसरा संख्या 2183 रकबा 0.97 हैक्टेयर मौके पर स्थिति रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2186 रकबा 0.52 हैक्टेयर मौके पर स्थिति रकबा 0.62 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के बंट में** तथा खसरा संख्या 2181 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2182 रकबा 1.04 हैक्टेयर **कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 17 से 18 के बंट में** रखी जाती है उक्तानुसार अंतिम जुमले रकबा डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
सांचौर जिला-जालोर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	4	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	[illegible]
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	[illegible]
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	[illegible]
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	[illegible]
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	4	00

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.12.09 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested